रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 11, 1972/वैशाख 21, 1894
No 106] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 1972/VAISAKHA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th May 1972

SUBJECT.—*Utilisation of licences for iron and steel items.*

No. 67-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 133-ITC(PN)/71 dated 7th October, 1971 and No. 12-ITC(PN)/72 dated 24th January, 1972 issued on the above subject.

2. It has been decided that the importers of iron and steel items should send the following reports to the Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta in the revised proforma annexed to this Public Notice.

(A) *Report I:*

Details of outstanding licences (which were issued after 31st March, 1970) and orders placed on foreign suppliers as on 31st March, 1972:

This report should be sent only once and should contain the details of all the pending licences and orders placed on foreign suppliers as on 31st March, 1972. In the report, the quantity and value outstanding (balance unutilised) as on

31st March, 1972 against the subject licence should be indicated (This is arrived at after deducting all imports upto that date from the licence value). No import details need be given in this return. This report should be sent to J.P.C. by 31st May, 1972.

(B) *Report II*:

This report should be sent every month giving the details of the licence(s), imports effected and orders placed on foreign suppliers during that month. The first report should be for the month of April, 1972. These monthly reports should reach the J.P.C. during the first week of the month following the month to which the report relates.

ANNEXURE

Proforma

DETAILS OF IMPORT LICENCE/LETTER OF AUTHORITY

N.B.—Each Return should contain details of one Licence/Letter of Authority only.

1. (*a*) Name and Address of the Licensee and/or

 (*b*) Letter of Authority Holder.

2. Import Licence No. with Prefixes and Suffixes.

3. Date of issue of Import Licence/Letter of Authority.

4. Name of Industrial End-Product for which Imported material will be used.

5. Mode of Financing

6. Category of Importer
 (Strike out whichever is not Apllicable)
 Actual User/Established Importer/Regd. Exporter/.

7. Country(s) of Import

8. Date of Expiry of the validity period of the Licence/letter of Authority including the period of Revalidation, if any.

9. Total value of Licence/Letter of Authority (Rs.)

10. Details of Steel Materials for which Licences are issued

Steel Category	Section Size	Quality	Quantity	Value (Rupees)

11. Details of Firm Order placed :

Item for which Order placed:			Date on which order placed	Quantity of the order placed (Tonnes)	Value C. I. F. in (Rs.) of the order placed	Country on which order placed
Steel Category	Section/ Size	Quality				

12. Details of Import Made:

Item Imported:			Date on which imported	Quantity imported (Tonnes)	Value C.I.F. in (Rs.)	Port of clearance	Country from which imported
Steel Category	Section/ Size	Quality					

13. Details of Balance unutilised :

Details of Item			Quantity (Tonnes)	Value (Rs.)
Steel Category	Section/ Size	Quality		

(Sd.) M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 मई, 1972

विषय : लोहा तथा इस्पात मदों के लिए लाइसेंस का उपयोग ।

संख्या 67—**आई० टी० सी० (पी०एन०)**/72.—उपर्युक्त विषय पर जारी की गई विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं०—133 आई० टी सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 7—10—71 और सं० 12 आई—टी०सी० (पी० एन) /72, दिनांक 24—1—72 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

यह निश्चय किया गया है कि लोहा तथा इस्पात मदों के आयातक को निम्नलिखित रिपोर्ट इस सार्वजनिक सूचना में अनुबंधित संशोधित प्रपत्र में संयुक्त प्लांट समिति, 18, रवीन्द्र सारणी, कलकत्ता को भेजनी चाहिए :—

(क) रिपोर्ट 1

बाकी रहे लाइसेंसों (जो 31—3—1970 से जारी किये गये थे) और 31—3—72 को विदेशी संभरकों को दिए गए आदेशों के ब्यौरे ।

यह रिपोर्ट केवल एक बार भेजी जानी चाहिए और इसमें सभी लम्बित लाइसेंसों और 31—3—72 को विदेशी संभरकों को दिए गए आदेशों के ब्यौरे शामिल होने चाहिए । रिपोर्ट विषयाधीन लाइसेंस के मदे 31—3—1972 को बाकी रही मात्रा और मूल्य (अप्रयुक्त शेष) का उल्लेख किया जाना चाहिए। (यह उस तारीख तक लाइसेंस मूल्य से सभी आयातों को घटाकर गिना गया है)। इस विवरणी में आयात ब्यौरे को देने की जरूरत नहीं है । यह रिपोर्ट संयुक्त प्लांट समिति को 31—5—1972 तक भेजी जानी चाहिए ।

(ख) रिपोर्ट 2

इस रिपोर्ट में लाइसेंस(सों), किए गए आयातों और उस माह के दौरान विदेशी संभरकों को दिए गए आदेशों के ब्यौरे देते हुए इसे प्रत्येक माह भेजना चाहिए । पहली रिपोर्ट अप्रेल, 1972 माह के लिए होनी चाहिए। ये मासिक रिपोर्ट संयुक्त प्लांट समिति को जिस अनुवर्ती माह से रिपोर्ट संबंधित है उस माह के प्रथम सप्ताह के दौरान पहुंच जानी चाहिए ।

सार्वजनिक सूचना सं०—आई०टी०मा० (पी० एन०)/72, दिनांक मई, 72 के लिए अनुबंध

प्रपत्र

आयात लाइसेंसों/प्राधिकार पत्र के ब्यौरे

विशेष ध्यान दीजिए:—प्रत्येक विवरणी में केवल एक लाइसेंस/प्राधिकार पत्र के ब्यौरे शामिल किए जाने चाहिए ।

1. (क) लाइसेंसधारी का नाम और पता और/अथवा

 (ख) प्राधिकार—पत्र धारी ।

2. उपसर्गों और प्रत्ययों के साथ आयात लाइसेंस की संख्या

3. आयात लाइसेंस/प्राधिकार-पत्र जारी होने की तिथि

4. उस औद्योगिक अंतिम उत्पाद नाम जिस लिए आयातित सामान का उपयोग किया जाएगा ।

5. अर्थयुक्त किए जाने की विधि ।

6. (आयातक की श्रेणी (जो लागू न हो उसे काट दें) वास्तविक उपयोक्ता/संस्थापित आयातक/पंजीकृत निर्यातक ।

7. आयात के देश

8. लाइसेंस/प्राधिकार पत्र की वैध अवधि की समाप्ति की तारीख, यदि पुनर्वैध की कोई अवधि है तो वह भी इसमें शामिल हैं ।

9. लाइसेंस/प्राधिकार-पत्र का कुल मुल्य (रूपए में)

10. उन इस्पात सामग्री के ब्यौरे जिसके लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं

इस्पात की श्रेणी	सेक्शन साइज	विशेषता मात्रा	मूल्य (रुपए में)

11. दिए गए फर्म आदेश के ब्यौरे

जिस मद के लिए आदेश दिया गया

इस्पात की श्रेणी	सेक्शन/साइज	विशेषता	आदेश दिए जाने की तारीख	दिए गए आदेश की मात्रा (टनों में)	दिए गए आदेश का (रु० में) लागत, बीमा भाड़ा/मूल्य	वह देश जिसको आदेश दिया गया

12 **किए गए आयात के ब्यौरे**

आयातित मद

इस्पात की श्रेणी	सेक्शन/ साइज	विशेषता	जायात किए जाने की तारीख	किए गए आयात की मात्रा (टन में)	लागत बीमा भाड़ा/मूल्य (रु० में)	छुड़ाई के पत्तन	वह देश जिसको आयात किया गया

13. प्रयुक्त शोध के ब्यौरे

मद के ब्यौरे

इस्पात की श्रेणी	सेक्शन/उाइज	विशेषता	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपए में)

एम० एम० सेनी,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972